निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 656) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

13 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(दर0)–16–05/2011/859––श्री हरिनन्दन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता (आई0 डी0–1706), ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, रहिका के विरूद्व उक्त पदस्थापन अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत कुल 40 अद्द योजनाओं के कार्यान्वयन में बरती गयी अनियमितता के लिए जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त आरोप पत्र एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 423 दिनांक 07.04.11 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की मॉग की गयी। जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य एवं श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 857 दिनांक 01.08.12 द्वारा कतिपय आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए अधिसूचना संख्या–22/नि0 सि0 (दर0) 16–05/11/927 दिनांक 15.07.14 द्वारा श्री हरिनन्दन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (आई0 डी0–1706), (पूर्व में निर्गत अधिसूचना में आई0 डी0–3879 के स्थान पर आई0 डी0–1706 पढ़ा जाय) को निम्न दंड संसूचित किया गया–

(क) देय प्रोन्नति पर रोक।

(ख) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

परन्तु वरीय लेखा पदाधिकारी, महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया कि श्री सिंह को देय अन्तिम वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.14 को रोकना संभव नहीं है। श्री सिंह की सेवानिवृति 30.09.14 को हो चुकी है। अतः अगला वेतन वृद्धि देय नहीं है। अतः संबंधित दंडादेश श्री सिंह के विरूद्ध लागू नहीं होता है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–22/नि0सि0 (दर0) 16–05/11/927 दिनांक 15.07.14 को निरस्त करने एवं श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित करने एवं नियम 43 (बी0) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री हरिनन्दन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (आई0 डी0–1706) के विरूद्ध निर्गत अधिसूचना संख्या–22/नि0 सि0 (दर0) 16–05/11/927 दिनांक 15.07.14 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री हरिनन्दन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (आई0 डी0–1706) सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया जाता है। द्वितीय कारण पृच्छा का पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 656-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in